निबंधन व शर्तें

फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की निबंधन एवं शर्तें (नियम) निम्नानुसार हैं जो एअर इंडिया के फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम 'फ्लाइंग रिटर्नस्' तथा फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के सदस्य के बीच के संबंध के स्वरूप व विस्तार को स्पष्ट करती है। निबंधन व शर्तें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। वेबसाइट www.airindia.in पर दी गई शर्तें लागू होंगी।

1. सामान्य
2. नामांकन की शर्तें
3. उपार्जन
4. अवार्ड
5. अपग्रेड
6. प्रीमियम क्लब (टियर)
7. ऑनलाइन एफआर प्वाइंट्स विवरण
8. सदस्यता का नवीकरण
9. विविध
10. डाटा सुरक्षा
11. फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में परिवर्तन/समाप्ति
12. देयता की सीमा

1. सामान्य

1.1 फ्लाइंग रिटर्नस् - एअर इंडिया का फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम एअर इंडिया, स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइनों, इसके कोड शेयर पार्टनरों तथा समय-समय व अधिसूचित किए गए फ्लाइंग रिटर्नस् में भाग ले रहे वाहकों की उड़ान सेवाओं पर बहुधा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को रिवार्ड देने की दृष्टि से तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम केवल निजी वैयक्तिक आधार पर व्यक्तिगत सदस्यता के लिए है (तथा यह संगठनों, छोटे बिजनेस, एसएमई अथवा ट्रेवल एजेंटों अथवा वाणिज्यिक इकाइयों के लिए नहीं है)। एक व्यक्ति (जिसे इस दस्तावेज़ में आगे 'सदस्य' कहा गया है) की इस कार्यक्रम में भागीदारी इन निबंधन एवं शर्तों के अधीन है जिनमें बिना किसी सूचना के समय-

समय पर परिवर्तन किया जा सकता है तथा समय-समय पर संशोधित इन निबंधन एवं शर्तों को सदस्य द्वारा स्वीकार्य माना जाएगा।

1.2 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के सदस्य के रूप, इस कार्यक्रम की निबंधन एवं शर्तें सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। एअर इंडिया अथवा कार्यक्रम के किसी अन्य भागीदार को फ्लाइंग रिटर्नस् की अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख करने से पूर्व इन निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लेना चाहिए। कुछ खंड अन्य खंडों से जुड़े अथवा संबंधित हो सकते हैं, अत: किसी भी खंड को अन्य खंडों से अलग करके नहीं पढ़ा जाए। एअर इंडिया अथवा कार्यक्रम के किसी अन्य भागीदार के लिए अपनी फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता सं. कोट करने का अर्थ है कि आपको ये निबंधन व शर्तें स्वीकार्य हैं।

1.3 ये निबंधन एवं शर्तें एअर इंडिया तथा फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के प्रत्येक वैयक्तिक सदस्य के बीच संविदात्मक संबंध को निर्धारित करती है।

1.4 परिभाषाएं

जब तक संदर्भ के अनुसार कुछ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन निबंधन एवं शर्तों में :

क) ''एअर इंडिया'' का अर्थ एअर इंडिया लि. है जिसका पंजीकृत कार्यालय 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 है।

ख) फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम को संक्षेप में एफआर कहा जाएगा जिसका अर्थ यहां उल्लिखित एअर इंडिया फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम है।

ग) एफआर 'सदस्य' का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी निजी तथा वैयक्तिक तौर पर फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की सदस्यता के लिए आवेदन किया है तथा जिसे (एअर इंडिया द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने के फलस्वरूप) अपने नाम के लिए सदस्यता सं. आबंटित/जारी की गई है।

घ) एफआर ''सदस्यता सं.'' का अर्थ वैयक्तिक एफआर सदस्य को दी गई 9 अंकों की अलग संख्या है।

ड.) एफआर ''सदस्यता वर्चुअल कार्ड'' का अर्थ है - फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य को जारी किए गए सदस्यता कार्ड की इलैक्ट्रॉनिक इमेज़।

च) 'फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स' का अर्थ है - एअर इंडिया, स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइनों, इसके कोड शेयर पार्टनरों तथा www.airindia.in पर समय-समय पर अधिसूचित किए गए फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में भाग लेने वाली एयरलाइनों की उड़ान सेवाओं पर यात्रा कर सदस्य द्वारा अर्जित अथवा संग्रह किए गए एफआर प्वाइंट्स।

छ) एफआर ''टियर'' अथवा क्लब का अर्थ है - फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की सदस्यता का उच्चतर स्तर, जिसके कारण सदस्य को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं।

ज) ''अवार्ड'' का अर्थ है रिवार्ड जैसे टिकट या अपग्रेड, जिसे सदस्य दिए गए अर्जित एफआर प्वाइंट्स का उपयोग कर प्राप्त कर सकता है।

झ) ''पार्टनर एफआर प्वाइंट्स'' का अर्थ है - सदस्य जिन अन्य पार्टी (पार्टियों) के लॉयल्टी कार्यक्रम का सदस्य अथवा भागीदार है, उनके एफआर प्वाइंट्स अथवा अन्य पार्टी (पार्टियों) की सेवाओं को किराए पर लेने अथवा उपयोग करने के परिणामस्वरूप ऐसे पार्टनर एफआर प्वाइंट्स का अर्जन अथवा ऐसी अन्य पार्टी (पार्टियों) से उत्पादों की खरीद से प्राप्त एफआर प्वाइंट्स के अंतरण के लिए एअर इंडिया द्वारा किए गए समझौतों/गठबंधनों/व्यवस्थाओं की निबंधन तथा शर्तों के अनुसरण में सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् एकाउंट में क्रेडिट किए गए एफआर प्वाइंट्स।

ञ) फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में सदस्य के टियर स्टेट्स के निर्धारण के लिए सभी पार्टनर एफआर प्वाइंट्स की गणना नहीं की जाती है।

ट) एफआर ''बोनस एफआर प्वाइंट्स'' का अर्थ है - एअर इंडिया सदस्य को अर्जित बेस एफआर प्वाइंट्स से अधिक व ऊपर एफआर प्वाइंट्स देती है। बोनस एफआर प्वाइंट्स का दिया जाना पूरी तरह एअर इंडिया के स्वनिर्णय पर आधारित होगा तथा ये एफआर प्वाइंट्स सदस्य के टियर स्टेट्स में कोई योगदान नहीं देते हैं (प्रथम केबिन तथा बिज़नेस केबिन में टिकटों के लिए दिए गए केबिन बोनस को छोड़कर) तथा एअर इंडिया द्वारा अपने सदस्यों को जारी किए विवरण में ये एफआर प्वाइंट्स अलग से दर्शाए जाते हैं।

ठ) एफआर ''डाटा'' का अर्थ है सदस्य की व्यक्तिगत सूचना जो सदस्य ने एअर इंडिया को केवाईसी प्रोसेस के द्वारा प्रदान की है।

ड) एफआर ''सदस्य सेवा केन्द्र'' का अर्थ है - फ्लाइंग रिर्टनस् के प्रशासन तथा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए स्थापित सेवा केन्द्र तथा जहां एअर इंडिया फ्लाइंग रिटर्नस् के फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यों द्वारा भेजी गई ई-मेल प्राप्त होती है तथा उनका उत्तर दिया जाता है।

ढ) एफआर ''कॉल सेंटर'' का अर्थ है - फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यों द्वारा एफआर टोल फ्री नंबरों पर की गई फोन कॉल का उत्तर देने के उद्देश्य से स्थापित कॉल सेंटर जिसमें एफ आर सदस्यों की पूछताछ तथा माइलेज़ प्वाइंट के उपयोग तथा अपग्रेड सहित विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी व सहायता प्रदान की जाती है।

ण) एफआर ''सदस्यता किट'' का अर्थ है - निजीकृत भौतिक व वास्तविक एफआर कार्ड, बैगेज टैग तथा तीन प्रीमियम क्लबों अथवा फ्लाइंग रिटर्नस् टियर जैसे एसईसी, जीईसी अथवा टीएमसी में से किसी एक की सदस्यता प्राप्त करने पर प्राप्त अपग्रेड वाउचर।

त) एफआर ''स्टेट्स एफआर प्वाइंट्स'' का अर्थ है - एफआर प्वाइंट्स जो क्लब/टियर स्टेट्स की गणना के लिए पात्र हैं। इन स्टेट्स एफआर प्वाइंट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। स्टेट्स एफआर प्वाइंट्स लगातार 365 दिनों की अवधि में अर्जित किए गए बेस एफआर प्वाइंट्स तथा ''केबिन बोनस'' एफआर प्वाइंट्स का जोड़ है। पार्टनर एफआर प्वाइंट्स अथवा अन्य बोनस एफआर प्वाइंट्स को स्टेट्स एफआर प्वाइंट्स में नहीं जोड़ा जाता है।

थ) हानि का अर्थ है - सेवाओं अथवा अवार्ड के प्रावधानों से जुड़ी सदस्यों को हुई हानि, लागत, क्षति, चोट, दुर्घटना अथवा दावा (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोई भी)।

द) 'प्रोसेसिंग' तथा प्रोसेसड्' का अर्थ है सदस्यों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रूप में प्राप्त डाटा अथवा मांग/अनुरोध की प्राप्ति, उपयोग, रिकार्ड अथवा रखना।

ध) 'सेक्टर' का अर्थ है - सिटी पेयर्स जिनके बीच अपरिवर्तित उड़ान सं. के साथ डायरेक्ट शेड्यूल्ड उड़ान प्रचालित होती है।

न) ''प्रोग्राम पार्टनर'' का अर्थ है - एयरलाइन पार्टनर्स (स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइनें कोड शेयर पार्टनर) तथा गैर-एयरलाइन कंपनियां। गैर एयरलाइन कंपनियों में वित्तीय तथा बीमा संस्थान, कार रेंटल, मनोरंजन, होटल, जीवनशैली, प्रकाशन, रिटेल व दूरसंचार कंपनियां सम्मिलित हैं लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं है। ये गैर-एयरलाइन कंपनियां एफआर सदस्यों को उनकी फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता के कारण सेवाएं प्रदान करती है अथवा ये अपने ग्राहकों को इनके एफआर कार्यक्रम प्वाइंट्स को एफआर प्वाइंट्स में परिवर्तित करने का अवसर देती हैं।

प) एफआर ''अवार्ड'' का अर्थ है - सदस्य द्वारा अपने सदस्यता एकाउंट के एफआर प्वाइंट्स के उपयुक्त व आनुपातिक भाग का उपयोग करने पर एअर इंडिया अथवा इसके कार्यक्रम भागीदार द्वारा सदस्य को जारी की गई अवार्ड टिकट।

फ) आरबीडी का अर्थ है - आरक्षण बुकिंग डेस्टिगनेटर (आरबीडी) के आधार पर उड़ान की बुकिंग श्रेणी। आरबीडी बुकिंग श्रेणी की पहचान के लिए आरक्षण लेन-देन में उपयोग किया गया कोड है।

ब) ''क्वालीफाइंग उड़ान'' का अर्थ है - एअर इंडिया उड़ान अथवा पार्टनर एयरलाइन उड़ान जो एक आरबीडी में राजस्व टिकट की खरीद के आधार पर ली गई है तथा जिस पर एफआर प्वाइंट्स दिए जाएंगे।

भ) 'क्वालीफाइंग प्रभार' का अर्थ है - कार्यक्रम के पार्टनरों के निर्णय तथा नियमों के अनुसार, एफआर प्वाइंट्स अर्जित करने के लिए पात्र कार्यक्रम के पार्टनरों की सेवाओं, लाभों तथा सुविधाओं का उपयोग करने के लिए सदस्य द्वारा किए गए व्यय अथवा प्रभार।

म) 'धोखाधड़ी' के तहत सामान्य रूप से धोखाधड़ी, बेईमानी, छल-कपट सम्मिलित हैं तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कृत्य सम्मिलित है:

- एफ सदस्य के रूप में केवाईसी के समय जानबूझकर गलत सूचना देना तथा एफआर प्वाइंट्स अर्जित करने के लिए उड़ानों की बुकिंग करना।

- जिन सेक्टरों पर यात्रा नहीं की गई है तथा जो सेक्टर एफआर प्वाइंट्स के लिए पात्र नहीं है, उन सेक्टरों के लिए एफआर प्वाइंट्स का दावा करना या अर्जित करने का प्रयास करना।
- गैर-राजस्व टिकटें या वे आरबीडी, जो एफआर प्वाइंट्स के लिए पात्र नहीं है, उनके एफआर प्वाइंट्स का दावा करना या अर्जित करने का प्रयास करना।
- एफआर प्वाइंट्स अर्जित या उनका दावा करने के लिए एअर इंडिया या पार्टनर के दस्तावेज़ों में फेर बदल करना।
- सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा के लिए एफआर प्वाइंट्स अर्जित या दावा करने का प्रयास करना।
- एअर इंडिया या पार्टनर एयरलाइनों पर, चुराई गई अथवा जाली टिकटों का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।
- इंटरनेट के आधार पर विक्रय या ऑक्शन या एसएमई/ट्रैवल एजेंट के माध्यम से एफआर अवार्ड को बेचने सहित एफआर प्वाइंट्स अथवा अर्वाडस् को बेचना, उनका आदान-प्रदान करना तथा/अथवा खरीद करना।
- ट्रैवल एजेंट, बिचौलियों तथा दलालों अथवा किसी एफआर सदस्य से छूट प्राप्त मूल्य पर अवार्ड टिकटें खरीदना या स्वीकार करना।
- किसी अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति की धोखाधडी या कदाचार से जानबूझकर लाभ उठाना।

1.5 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में एफआर सदस्यता, विशेषाधिकार तथा लाभ एअर इंडिया के स्वनिर्णय के आधार पर ऑफर किए जाते हैं।

1.6 यहां फ्लाइंग रिटर्नस् की सदस्यता के लिए आवेदन करने पर, आवेदक इन निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन की सहमति देता है। (समय-समय पर तथा www.airindia.in पर अधिसूचित किसी भी परिवर्तन सहित)।

1.7 इस कार्यक्रम के तहत सभी यात्राएं, यात्रा के समय प्रभावी एअर इंडिया अथवा अन्य संबंधित एयरलाइन की समय-सारिणी/शेड्यूल सहित, जैसा भी मामला हो, एअर

इंडिया अथवा अन्य संबंधित एयरलाइन द्वारा जारी टिकटों में समाहित निबंधन व शर्तों या संदर्भ के अधीन होंगी।

1.8 एअर इंडिया के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति की एफआर सदस्यता अस्वीकार करने तथा सदस्यता कार्ड या एफआर प्वाइंट्स के दुरूपयोग या कुप्रयोग करने अथवा इन निबंधन व शर्तों के अनुसार उपयोग न करने अथवा इन निबंधन व शर्तों का कोई उल्लंघन करने अथवा सदस्यता या किसी अवार्ड टिकटों का दुरूप्रयोग या कुप्रयोग करने पर किसी भी व्यक्ति की सदस्यता रोकने तथा/या समाप्त करने का अधिकार है।

1.9 एअर इंडिया के पास एफआर कार्यक्रम को समाप्त करने अथवा निबंधन व शर्तों, नियमों, विनियमों, नीतियों तथा प्रविधियों (कार्यक्रम नियमों), लाभ, विशेषाधिकार, भाग लेने की शर्तों या एफआर प्वाइंट्स संचय करने के ढांचे, अवार्ड ढांचे, असीमित एम्बार्गो (ब्लैक आउट) तिथियां तथा/या उड़ानें जोड़ने या किसी या सभी गंतव्यों के लिए उपलब्ध अवार्ड सीटों की संख्या सीमित करने; एफआर प्वाइंट्स का उपयोग करने के ढांचे को पूरी तरह या आंशिक रूप से - किसी भी समय, सूचना या बिना सूचना के परिवर्तित करने का अधिकार है, ये परिवर्तन पहले से संचित एफआर प्वाइंट्स के मूल्य को प्रभावित भी करा सकते हैं। फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता के समाप्त हो जाने पर, सदस्य द्वारा अर्जित या संचित सभी एफआर प्वाइंट्स रद्द माने जाएंगे।

1.10 एअर इंडिया, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी अवार्ड को समाप्त, सीमित, संशोधित अथवा रद्द कर सकती है; किसी भी अवार्ड के लिए अपेक्षित एफआर प्वाइंट्स, नकद, लागू अन्य भुगतान में वृद्धि कर सकती है; अवार्ड, लाभ व विशेषाधिकारों के अंतरण संबंधी शर्तों व नियमों में संशोधन या विनियमन कर सकती है।

1.11 जिन सदस्यों ने एफआर प्वाइंट्स को संचित किया है, वे अवार्ड टिकटों के उपयोग के लिए इनवेंटरी तथा सीट की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उक्त उपलब्धता विनियमित होती है तथा क्षमता भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध

होती है। अवार्ड इनवेंटरी की उपलब्धता में परिवर्तन होता रहता है तथा किसी दी गई अवधि में सभी गंतव्यों अथवा सभी उड़ानों के लिए स्थिर व उपलब्ध नहीं भी हो सकती है।

1.12 लागू भारतीय कानून के अनुसार, यह स्पष्ट अनुमति है कि एअर इंडिया फ्लाइंग रिटर्नस् से संबंधित अथवा इसकी समाप्ति अथवा ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों के कारण होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इसी प्रकार, एअर इंडिया फ्लाइंग रिटर्नस् की निबंधन व शर्तों तथा नियमों, जो यहां दिए गए हैं तथा एफआर वेबसाइट www.airindia.in पर उपलब्ध हैं, के संबंध में सूचना का संप्रेषण न होने के कारण उत्पन्न किसी चूक या भूल के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

1.13 एअर इंडिया अपने पार्टनर द्वारा ऑफर या वचन दी गई किसी सेवा या उत्पाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। एअर इंडिया, एआई पार्टनर के उत्पादों/सेवाओं के उपयोग के कारण उत्पन्न किसी कार्रवाई या परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

1.14 एअर इंडिया, यहां उल्लिखित अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों, सब कॉन्ट्रेक्टरों अथवा नियुक्त एजेंटों को इन निबंधन एवं शर्तों संबंधी कार्य सौंप सकती है या उनके साथ डील कर सकती है। एअर इंडिया अपने सब-कॉन्ट्रेक्टर तथा/अथवा एजेंटों के कार्य निष्पादन या कार्य निष्पादन न होने के कारण हुए विलंब, जो उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है, के लिए सदस्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी।

1.15 सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे फ्लाइंग रिटर्नस् वेबसाइट पर दी गई फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की वर्तमान निबंधन एवं शर्तों की जानकारी रखें। सदस्य की कार्यक्रम में निरंतर भागीदारी वर्तमान निबंधन एवं शर्तों के प्रति सदस्य की स्वीकृति मानी जाएगी।

1.16 यह वैयक्तिक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह अपना मेलिंग पता अपडेट रखें। सदस्य को उसके अपने ई-मेल या पंजीकृत पते पर भेजी गई किसी भी जानकारी/सूचना को रिकार्ड में 'भेजा गया/प्राप्त' माना जाएगा। एअर इंडिया किसी भी विलंब, गलत जगह डायरेक्ट की गई या खोई मेल के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

सदस्य के मेलिंग एड्रेस में किसी भी परिवर्तन को ऑनलाइन अपडेट किया जाए तथा सत्यापन के लिए नए पते का प्रमाण भी अपलोड किया जाए।

1.17 एअर इंडिया फ्लाइंग रिटर्नस् वेबसाइट पर दी गई निबंधन एवं शर्तों की व्याख्या करने, लागू करने तथा संप्रेषित करने का अधिकार अपने पास रखती है। प्रत्येक मामले में, एअर इंडिया द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होंगे।

1.18 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की शर्तें वैयक्तिक सदस्यता तथा निजी वैयक्तिक भागीदारी को नियंत्रित करती हैं तथा विधि या न्याय का कोई भी नियम पत्र इसमें शामिल व लागू नहीं होगा।

1.19 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की निबंधन व शर्तों, एअर इंडिया के वहन कॉन्ट्रेक्ट, एअर इंडिया के किराया नियमों के पालन में विफलता, फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के विशेषाधिकारों का कोई दुरूपयोग, कानून, नियम या विनियम का कोई उल्लंघन, एअर इंडिया के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई आचरण, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी का प्रयास करने संबंधी कोई भी कार्य अथवा सदस्य या सदस्य की ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा एअर इंडिया को कोई भी गलत सूचना प्रदान करने पर अर्जित एफआर प्वाइंट्स, अवार्ड या लाभ या दोनों की हानि या रद्दकरण या कार्यक्रम के अन्य लाभ व विशेषाधिकारों की हानि के साथ ही ऐसे सदस्य की सदस्यता एअर इंडिया द्वारा समाप्त की जा सकती है। ऐसे सदस्य जिनकी सदस्यता उक्त कारणों से समाप्त की गई है वे फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के किसी भी पहलू में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे तथा वे नए एकाउंट में नामांकन के भी पात्र नहीं होंगे।

1.20 इससे संबंधित सभी प्रश्नों या विवादों को भारत के कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।

2. नामांकन की शर्तें

2.1 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में सदस्यता तथा भागीदारी, एअर इंडिया द्वारा अपने स्वनिर्णय के आधार पर समय-समय पर अपनाए गए किसी भी कार्यक्रम की निबंधन व शर्तों के अधीन है।

2.2 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में सदस्यता तथा भागीदारी कुछ देशों में निषेध व प्रतिबंधित हो सकती है। इन निबंधन तथा शर्तों से ऐसे किसी भी विदेशी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और न ही उनमें कोई बाधा पहुंचाई जानी चाहिए।

2.3 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह एअर इंडिया के ग्राहकों को वैयक्तिक आधार पर ही ऑफर किया जाता है। प्रत्येक वैयक्तिक सदस्य एक पंजीकृत ई-मेल तथा एक पंजीकृत मोबाइल नं. के साथ केवल एक एफआर एकाउंट मेंटेन कर सकता है तथा जिसमें बिना आरंभिक अक्षरों के उसका पूरा नाम पासपोर्ट के अनुसार ही होना चाहिए।

2.4 कार्यक्रम के प्रत्येक अकाउंट में केवल एक सदस्य नामांकित किया जा सकता है। एफआर एकाउंट नं. अहस्तांतरणीय है। केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही, केवल खाताधारक सदस्य प्रोफाइल तथा अकाउंट सूचना देखने का हकदार होगा जो एअर इंडिया के स्वामित्व में रखी गई सुरक्षित सूचना है। एक ही नाम, ई-मेल या मोबाइल के दो एफआर अकाउंट को रद्द रखा जाएगा तथा उसे समाप्त किया जा सकता है। ऐसे दोहरे अकाउंट के वास्तविक बेस एफआर प्वाइंट्स तथा बोनस एफआर प्वाइंट्स सदस्य की पहचान पूरी तरह स्थापित करने के बाद एअर इंडिया फ्लाइंग रिटर्नस् स्वनिर्णय के आधार पर सदस्य के एकमात्र बचे हुए अकाउंट में अंतरित व क्रेडिट कर सकती है। पंजीकरण तथा अन्य बोनस जो एक बार ही दिए जाते हैं, उन्हें दो बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा विलय के बाद इन्हें ''बचे हुए'' एकाउंट में अंतरित नहीं किया जाएगा।

2.5 2 से लेकर 12 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों को बाल सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है। 12 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों को वयस्क सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है। कानून द्वारा प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर, प्रत्येक सदस्य केवल एक फ्लाइंग रिटर्नस् एकाउंट मेंटेन कर सकता है। निगम, संगठन

तथा/अथवा अन्य संस्थानों या कंपनियों को सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता है।

2.6 पात्र व्यक्ति स्वयं सत्यापित केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फार्म ऑनलाइन भरकर फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदक को फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य माना जाएगा।

2.7 प्रत्येक सदस्य को सदस्यता प्रोफाइल में मान्य फोटो पहचान पत्र जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत ''यात्रा दस्तावेज़'' हो जैसे पासपोर्ट साथ ही वर्तमान व वैध पते का प्रमाण (यदि अंग्रेजी में नहीं है तो प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद के साथ), एक निजी (कार्यालयी न हो) ई-मेल आई डी तथा एक मोबाइल नं. प्रदान तथा अपलोड करना अपेक्षित है, इन सभी को वैयक्तिक सदस्यता के साथ लिंक किया जाएगा।

2.8 एअर इंडिया के पास सदस्यता के किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि सदस्यता के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सदस्यता कार्ड के उपयोग से आवेदक द्वारा अर्जित किसी भी लाभ को रद्द माना जाएगा।

2.9 सदस्य द्वारा नामांकन करने पर सदस्य के अपने ई-मेल तथा अपने मोबाइल नं. पर भेजे गए दोहरे ओटीपी के सत्यापन के बाद ही सदस्य को नौ अंकों के एफएफपी नं. वाला वर्चुअल फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता कार्ड प्राप्त होगा। यह ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया यह निश्चित करती है कि सदस्य फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के अवार्ड तथा माइलेज़ प्वाइंट के उपयोग के ढांचे तथा निबंधन व शर्तों से सहमत हैं व उन्हें स्वीकार करते हैं। नए व बेस सदस्यों को वर्चुअल सदस्यता कार्ड जारी करने के अतिरिक्त टियर सदस्यों को भौतिक सदस्यता कार्ड भी जारी किया जाता है।

2.10 प्रत्येक सदस्यता कार्ड एवं संख्या जिस व्यक्ति के लिए जारी की गई हे केवल उस तक सीमित रहेगी तथा अहस्तांतरणीय होगी। एक व्यक्ति द्वारा अनेक नामांकन की अनुमति नहीं है। एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक अकाउंट होने पर (डुप्लीकेट अकाउंट), एअर इंडिया के पास प्रभार लेकर विलय करने या एक या सभी अकाउंट को रद्द/समाप्त करने का अधिकार है।

2.11 नए एफआर सदस्य नामांकन की तिथि से पहले 12 माह तक के, केवल एअर इंडिया की उड़ानों के लिए पात्र पिछले एफआर प्वाइंट्स भी अर्जित कर सकते हैं बशर्ते जब वह उड़ान ली गई हो सदस्य फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य बनने के लिए पात्र (उदाहरण के लिए 2 वर्ष से कम आयु न हो) हो।

2.12 संभावित अकाउंट जिनमें व्यक्तिगत विवरण नहीं दिए गए हैं अथवा अपूर्ण हैं तथा प्राथमिक सक्रिय अकाउंट जिनमें नामांकन अथवा पुन: पंजीकरण के 45 दिनों के भीतर केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड नहीं किए गए हैं, उन्हें ''केवाईसी'' लंबित अकाउंट दर्शाया जाएगा तथा उन्हें बंद/समाप्त किया जा सकता है।

2.13 फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अवार्ड, लाभ या विशेषाधिकार के उपयोग करने पर व्यय किए जाने, किसी कर, प्रभार अथवा अन्य देयता की पूरी जिम्मेदारी सदस्य की होगी तथा उसे सदस्य के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा।

2.14 फ्लाइंग रिटर्नस् की सदस्यता के लिए आवेदन करने पर, सदस्य स्पष्ट रूप से एअर इंडिया तथा फ्लाइंग रिटर्नस् प्रोग्राम पाटनरों को कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए डाटा तथा प्रोग्राम के साथ स्टोर किए गए डाटा को फ्लाइंग रिटर्नस् के निष्पादन को बेहतर बनाने अथवा एअर इंडिया द्वारा निर्णीत या उपयुक्त पाए गए किसी अन्य उद्देश्य की मार्केटिंग व संप्रेषण हेतु उपयोग करने का प्राधिकार प्रदान करता है।

2.15 यदि पिछले 12 माह में दिए गए माह के अंतिम दिन तक सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में कम से कम एक भी उड़ान अर्जन लेन-देन नहीं हुआ है तो अकाउंट स्वत: ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई एफआर अकाउंट 2 वर्षों (लगातार 24 माह) तक निष्क्रिय रहता है तो यह बंद हो जाएगा तथा एअर इंडिया के पास सदस्य की सदस्यता रद्द/समाप्त करने का अधिकार होगा।

2.16 एअर इंडिया के पास फ्लाइंग रिटर्नस् के किसी अथवा सभी अकाउंट का बिना पूर्वाग्रह अथवा सूचना के किसी भी समय ऑडिट करने का अधिकार है ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की निबंधन तथा शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। ऑडिट अथवा जांच के दौरान एअर इंडिया सदस्य के अकाउंट की सूचना, इस

ऑडिट अथवा जांच के कार्य में सहायता प्रदान कर रही कॉन्ट्रेक्ट की हुई किसी थर्ड पार्टी तथा/अथवा कानून अमल करने वाली एजेंसियों/सरकारी प्राधिकारियों को, प्रदान कर सकती है। ऑडिट के दौरान किसी प्रकार की विसंगतियां अथवा संभावित उल्लंघन पाए जाने पर, लंबित ऑडिट पूरा होने तक, एअर इंडिया बिना किसी सूचना के अवार्ड उपयोग करने की मांग संबंधी प्रक्रिया को विलंबित कर सकती है, किसी भी बकाया अवार्ड के उपयोग को रद्द कर सकती है, स्टेटमेंट रोक सकती है या सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट को निलंबित कर सकती है। इस दौरान सदस्य के अकाउंट में एफआर प्वाइंट्स अर्जित होते रहेंगे लेकिन एफआर प्वाइंट्स को उपयोग करने अथवा अन्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी तथा कोई भी बकाया अवार्ड उपयोग रद्द कर दिया जाएगा। रद्द किए गए अवार्ड तथा उपयोग न किए गए अपग्रेड वाउचर एअर इंडिया द्वारा मांगे जाने पर एअर इंडिया को सौंप दिए जाएं। ऑडिट पूरा हो जाने पर, यदि एअर इंडिया द्वारा विसंगति अथवा उल्लंघन निर्धारित कर दी जाती है तो यहां ऊपर उल्लिखित अन्य किसी कार्रवाई के अतिरिक्त, सदस्य को सूचना देकर अथवा बिना सूचना के ऐसी विसंगति अथवा उल्लंघन की कार्रवाई के लिए सदस्य के अकाउंट से एफआर प्वाइंट्स समाप्त किए जा सकते हैं।

2.17 एअर इंडिया को उपयुक्त रूप से लिखित अधिसूचना देकर तथा सदस्यता कार्ड वापस करके सदस्य किसी भी समय अपनी फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता को रद्द करा सकते हैं। ऐसे समय में सदस्य बकाया एफआर प्वाइंट्स, लाभ तथा विशेषाधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

2.18 सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में दिवंगत एफआर सदस्य के कानूनी वारिस को, एअर इंडिया के अपेक्षानुसार रिश्तेदारी का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने पर दिवंगत सदस्य के अकाउंट से एफआर प्वाइंट्स के उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे सभी एफआर प्वाइंट्स को सदस्य की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर उपयोग करना होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि कानूनी वारिस एफआर सदस्य है तो एफआर प्वाइंट्स कानूनी वारिस के अकाउंट में अंतरित किए जा सकते हैं।

2.19 सदस्य जब एअर इंडिया स्टार एलायंस की उड़ानों के लिए बुकिंग तथा चेक-इन करते हैं तथा/अथवा कार्यक्रम के पार्टनरों की सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो उसे अपनी नौ अंकों की विशिष्ट सदस्यता संख्या तथा अपनी फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता प्रोफाइल में दिए गए नाम के अनुसार विस्तार में पूरे नाम (जैसाकि पासपोर्ट में दिया गया है) का उल्लेख करना चाहिए। यदि सदस्य ऐसी बुकिंग करते समय अथवा ऐसी सेवाएं प्रापत करते समय अपेक्षित सदस्यता सूचना (नाम तथा संख्या) सही उपलब्ध नहीं कराता है तो इसके परिणामस्वरूप सदस्य के अकाउंट में लागू एफआर प्वाइंट्स क्रेडिट नहीं होते हैं तथा सदस्य की लापरवाही के कारण ऐसे एफआर प्वाइंट्स का क्रेडिट मौजूद न रहने अथवा क्रेडिट न होने के संबंध में एअर इंडिया, स्टार एलायंस अथवा इसके कार्यक्रम के पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे।

2.20 सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में लॉग इन करने, एफआर प्वाइंट्स का उपयोग करने, पता तथा पासपोर्ट विवरण अपडेट करने के लिए पर्याप्त संख्या वाला विशिष्ट पासवर्ड (नामांकन के समय विनिर्दिष्ट) होना अनिवार्य है। अपने स्वयं के पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी सदस्य की है। पासवर्ड की चोरी होने/किसी को बताने के कारण एफआर प्वाइंट्स की हानि हो जाने के संबंध में एअर इंडिया जिम्मेदार नहीं है तथा सदस्य के पासवर्ड की चोरी/किसी को बताने के कारण उपयोग हुए एफआर प्वाइंट्स को पुन: क्रेडिट नहीं किया जाएगा।

2.21 सूचना के उद्देश्य अथवा अपने अकाउंट से एफआर प्वाइंट्स के उपयोग एवं खरीद के लिए अपने अकाउंट को खोलने का अधिकार केवल सदस्य का है। सदस्य को अपना पासवर्ड गोपनीय रखना आवश्यक है। किसी भी सदस्य को किसी थर्ड पार्टी जैसे ट्रेवल एजेंट, सेक्रेटरी अथवा अन्य किसी को अपना अकाउंट को खोलने (पॉवर ऑफ अटॉर्नी, कान्ट्रेक्ट, प्राधिकार पत्र अथवा अन्य किसी प्रकार से) का अधिकार देने अथवा सौंपने की अनुमति नहीं है। सदस्य द्वारा अकाउंट की सूचना को पुन: उत्पन्न करना कॉपीराइट तथा स्वामित्व संबंधी नोटिस के अधीन है तथा किसी भी प्रकार से इसके पुनर्वितरण के लिए एअर इंडिया फ्लाइंग रिटर्नस् से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2.22 एअर इंडिया बिना कोई सूचना दिए किसी भी समय निम्नलिखित कदम उठा सकती है -

- किसी विशेष फ्लाइंग रिटर्नस् अवार्ड को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स स्तरों को संशोधित कर फ्लाइंग रिटर्नस् अवार्ड संरचना में परिवर्तन,
- किसी विशेष अवधि को निर्धारित करना जिसके दौरान फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है,
- किसी अथवा सभी गंतव्यों अथवा कुछ विशिष्ट उड़ानों में फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स को उपयोग करने के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या को सीमित करना,
- किसी विशेष फ्लाइंग रिटर्नस् अवार्ड को प्राप्त करने के लिए यात्रा की संख्या अथवा प्रकार में परिवर्तन करना,
- कार्यक्रम के पार्टनर से संबंधों को परिवर्तित अथवा समाप्त करना,
- उन पार्टियों में परिवर्तन जिनसे फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स अवार्ड प्राप्त/उपयोग किए जा सकते हैं,
- अवार्ड दिए जाने के बाद उस समयावधि में परिवर्तन जिसके भीतर फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स उपयोग किए जाने चाहिए,
- एअर इंडिया अथवा किसी कार्यक्रम पार्टनर द्वारा जारी फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स के उपयोग की वैधता की समय सीमा लागू करना,
- सदस्यता शुल्क आरंभ करना तथा/अथवा उसकी समीक्षा करना, फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स के उपयोग पर टिकटिंग संबंधी प्रक्रियाओं तथा नियमों को अथवा फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के अन्य पहलूओं को संशोधित करना।

2.23 एअर इंडिया के पास अपने किसी अथवा सभी सदस्यों के लिए एफआर प्वाइंट्स अर्जित करने अथवा उपयोग करने के अधिकार को, पूरे विश्व अथवा किसी विशेष देश, जहां एअर इंडिया अपने कार्यक्रम के पार्टनरों द्वारा जुड़ी है, में कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार है।

2.24 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम अथवा सदस्यों को उपलब्ध कराई जा रही किसी सुविधा, लाभ, विशेषाधिकार अथवा व्यवस्था के समाप्त होने अथवा उनमें परिवर्तन होने के कारण किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष

आकस्मिक हानि अथवा क्षति के लिए एअर इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रतिबंध के कार्यक्रम के पार्टनरों की समाप्ति अथवा ऐसी किसी सर्विस, लाभ अथवा सुविधाओं की समाप्ति व उन्हें सीमित करना भी सम्मिलित है।

2.25 ये निबंधन एवं शर्तें भारतीय कानून द्वारा संचालित होती हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में नई दिल्ली में उचित न्यायालय के पास पूर्ण न्यायधिकार होगा।

2.26 प्रत्येक एफआर व सदस्यता के लिए - पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के लिए अलग-अलग ई-मेल आईडी व अलग-अलग मोबाइल नं. आवश्यक है।

3. अर्जन

3.1 फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम में एअर इंडिया अथवा इसके पार्टनरों के साथ अपनी लेन-देन पर सदस्य को प्रदान किए गए क्रेडिट को बेस यूनिट एफआर प्वाइंट्स होते हैं। वे कंपनियां जिनके साथ लेन-देन पर सदस्य एफआर प्वाइंट्स अर्जित तथा/अथवा उपयोग कर सकते हैं, उन्हें कार्यक्रम के पार्टनर माना जाता है तथा एअर इंडिया समय-समय पर अपने निर्णय के आधार पर कार्यक्रम के पार्टनर के रूप में किसी भी कंपनी को जोड़ अथवा हटा सकती है।

3.2 केवल कार्यक्रम के तहत अनुमति प्राप्त आरबीडी पर अपनी यात्रा के लिए ली गई उड़ानों पर ही सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में एफआर प्वाइंट्स अर्जित किए जाएंगे।

3.3 सदस्य की लेन-देन से संबंधित एफआर प्वाइंट्स संबंधित सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। एफआर प्वाइंट्स के बदले नकद नहीं दिया जाएगा।

3.4 सदस्य आरक्षण करते समय अपनी फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता सं. का उल्लेख अवश्य करें तथा 9 अंकों की अपनी सही एफआर संख्या प्रस्तुत करें जिससे आप जब भी

एअर इंडिया अथवा किसी फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम पार्टनर की सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपके अर्जित फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स आपके अकाउंट में सुनिश्चित रूप से क्रेडिट हो सकें।

3.5 यदि सदस्य के अकाउंट में क्रेडिट किए गए एफआर प्वाइंट्स की संख्या सही नहीं है, तो सदस्य अपनी स्टेटमेंट प्राप्त होने के तीन माह के भीतर फ्लाइंग रिटर्नस् को सूचित करे।

3.6 सदस्य जब भी समय-समय पर विनिर्दिष्ट आरबीडी में एअर इंडिया, स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइन्स, इसके कोड शेयर पार्टनरों तथा फ्लाइंग रिटर्नस् में भाग ले रही एयरलाइनों पर किसी उड़ान में अपनी यात्रा पूरी करते हैं अथवा अन्य पार्टनरों के उत्पादों/सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो ऐसे लेन-देन के लिए सदस्य को उपयुक्त संख्या में एफआर प्वाइंट्स क्रेडिट किए जाएंगे (जैसाकि www.airindia.in पर उल्लिखित है अथवा जैसाकि अलग से अधिसूचित किया गया हो)।

3.7 एफआर प्वाइंट्स चेक-इन के तुरंत बाद नहीं बल्कि वास्तव में पूरी की गई यात्रा के लिए ही क्रेडिट किए जाते हैं। सदस्य को खरीदी गई उन टिकटों के लिए एफआर प्वाइंट्स क्रेडिट नहीं किए जाते जिन पर उड़ान नहीं भरी गई हो/जिनका उपयोग नहीं किया हो। सदस्य के अकाउंट में एफआर प्वाइंट्स आरक्षण अथवा टिकट की खरीद के समय प्रभावी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नहीं बल्कि यात्रा के समक्ष प्रभावी कार्यक्रम की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वास्तव में भरी गई उड़ानों के लिए क्रेडिट किए जाएंगे। उड़ान रद्दकरण पर एफआर प्वाइंट्स क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। एअर इंडिया के पास आगे उल्लिखित प्रत्येक मामले में सूचना अथवा बिना किसी सूचना के एफआर प्वाइंट्स अर्जित करने के अतिरिक्त साधन स्थापित करने, वर्तमान में मान्य किसी अथवा सभी साधनों को हटाने अथवा संशोधित करने अथवा एफआर प्वाइंट्स जोड़ने के लिए किसी विशेष लेन-देन अथवा टिकटों को समाप्त करने का अधिकार है।

3.8 एफआर प्वाइंट्स अर्जन के लिए प्रत्येक कार्यक्रम पार्टनर के केवल कुछ विशिष्ट लेन-देन पात्र माने जाएंगे। प्रत्येक पार्टनर की निबंधन एवं शर्तें तथा कार्यक्रम के नियम

लागू होंगे। एफआर सदस्य केवल अपने लिए ली गई पार्टनर सेवाओं के लिए, एफआर कार्यक्रम से जुड़े पार्टनरों से अपने एफआर प्वाइंट में एफआर प्वाइंट्स अंतरित व प्राप्त कर सकते हैं।

3.9 उड़ान संबंधी लेन-देनों के लिए अर्जित एफआर प्वाइंट्स निम्नानुसार हैं :

क) एफआर प्वाइंट्स समय-समय पर विनिर्दिष्ट आरबीडी में एअर इंडिया तथा पार्टनर एयरलाइनों पर प्रथम, बिजनेस तथा इकोनॉमी केबिन में यात्रा के लिए प्रदान किए जाते हैं।

ख) एफआर प्वाइंट्स उद्योग छूट, एजेंसी छूट, विनिमय अथवा अवार्ड टिकटों, शिशु किरायों तथा एअर इंडिया अथवा एयरलाइन पार्टनरों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य विशेष छूट प्राप्त टिकटों पर की गई यात्रा के लिए प्रदान नहीं किए जाएंगे।

ग) एअर इंडिया में O, I, X, R, P, N तथा E आरबीडी में बुक की गई टिकटों पर एफआर प्वाइंट्स का अर्जन नहीं होगा। यदि एअर इंडिया के किसी यात्राक्रम में कोई ऐसा सेक्टर है जो इनमें से एक श्रेणी में बुक किया गया है तो एअर इंडिया के वो सेक्टर एफआर प्वाइंट्स के अर्जन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

घ) एफआर प्वाइंट्स राजस्व टिकटों से की गई हवाई यात्रा तथा केवल शेड्यूल्ड उड़ानों पर यात्रा के लिए अर्जित किए जा सकते हैं। चार्टर उड़ानों पर बुक की गई टिकटों के लिए एफआर प्वाइंट्स अर्जित नहीं होंगे। कोई भी एयरलाइन पार्टनर कुछ उड़ानों पर एफआर प्वाइंट्स के अर्जन को समाप्त कर सकता है।

ड.) एफआर प्वाइंट्स का क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए, सदस्य फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यता प्रोफाइल में दिए गए नाम के अनुसार ही अपनी सभी बुकिंग करें।

च) प्रति व्यक्ति, प्रति उड़ान केवल एक बार ही एफआर प्वाइंट्स अर्जित किए जा सकते हैं, चाहे कितनी भी सीटें खरीदी गई हों।

छ) किसी सेक्टर की यात्रा के लिए प्रदान किए गए बेस एफआर प्वाइंट्स प्रस्थान एयरपोर्ट से आगमन एयरपोर्ट के लिए तय की गई यात्रा की वास्तविक दूरी तथा बुकिंग की श्रेणी के प्रकार (आरबीडी-रिजर्वेशन बुकिंग डेज़ीगनेटर) पर निर्भर करते हैं।

कनेक्टिंग उड़ानों के लिए, जिनमें उड़ान संख्या में परिवर्तन हो जाता है, उनमें अर्जित एफआर प्वाइंट्स यात्रा के प्रत्येक सेक्टर हेतु जोड़े जाएंगे।

ज) एअर इंडिया तथा सभी पार्टनर एयरलाइनों के लिए एफआर प्वाइंट्स अर्जन दरों संबंधी जानकारी के लिए, सदस्य 'अर्जन स्तरों हेतु ऑनलाइन तालिका' देखें अथवा फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य सेवा केन्द्र में कॉल करें।

झ) यदि फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य, एक से अधिक स्टार एलायंस पार्टनर के लॉयल्टी कार्यक्रमों का सदस्य है, तो सदस्य मात्र एवं किसी एक एफएफपी अकाउंट में, ली गई उड़ान के संबंध में क्रेडिट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। अपने क्रेडिट के लिए सदस्य जिस अकाउंट को चुनता है, वह किसी विशेष यात्राक्रम के सभी सेक्टरों, टिकट तथा पीएनआर के लिए एक समान रहेगा।

ञ) सदस्य द्वारा एयरपोर्ट पर अपग्रेड कराने पर, (चाहे भुगतान आधारित हो, अपग्रेड वाउचर, एफआर प्वाइंट्स अथ्वा विशेषाअधिकार के रूप में हो) एफआर प्वाइंट्स यात्रा की मूल रूप से बुक की गई श्रेणी, जिसमें टिकट बनवाई गई थी, के लिए क्रेडिट किए जाएंगे। केबिन बोनस एफआर प्वाइंट्स, मूल बुकिंग की आरबीडी के लिए बिज़नेस श्रेणी केबिन अथवा प्रथम श्रेणी केबिन के अनुसार क्रेडिट किए जाएंगे न कि किसी अपग्रेड के लिए।

ट) मल्टीपल सेक्टर घरेलू यात्राओं की स्थिति में, (जिसमें प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग उड़ान कूपन जारी किया जाता है तथा उड़ान सं. एकसमान नहीं है) प्रत्येक सेक्टर के एफआर प्वाइंट्स के जोड़ को एफआर प्वाइंट्स के रूप में क्रेडिट किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय यात्राएं जिनमें समान अथवा कॉमन दरों के किराए पर भारत में घरेलू यात्रा भी सम्मिलित है (जिनमें प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग उड़ान कूपन हैं तथा उड़ान सं. एकसमान नहीं है) उनमें यात्रा के घरेलू सेक्टर के एफआर प्वाइंट्स का क्रेडिट अंतरराष्ट्रीय सेक्टर की आरबीडी के अनुसार किया जाएगा, चाहे ऐसी थ्रू अंतरराष्ट्रीय यात्रा तथा टिकट के घरेलू सेक्टर के लिए कोई भी आरबीडी बुक की गई हो।

3.10 पार्टनर एफआर प्वाइंट्स भी सदस्य के अकाउंट में क्रेडिट किए जा सकते हैं, बशर्ते,

क) यदि सदस्य, दूसरी पार्टी जिसके साथ एअर इंडिया का कोई एग्रीमैंट/एलायंस/व्यवस्था है, के लॉयल्टी कार्यक्रम में भी सदस्य/भागीदार है तथा यदि ऐसा सदस्य ऐसी दूसरी पार्टी के लॉयल्टी कार्यक्रम से लॉयल्टी एफआर प्वाइंट्स फ्लाइंग रिटर्नस् में अंतरित कराना चाहता है तो उसे दूसरी पार्टी से उपयुक्त रूप से इसकी मांग करनी होगी तथा वह पार्टी ऐसे एफआर प्वाइंट्स को फ्लाइंग रिटर्नस् में अंतरित करती है।

ख) दूसरी पार्टी, जिसके साथ एअर इंडिया का एफआर प्वाइंट्स के अर्जन के लिए एग्रीमेंट/एलायंस/व्यवस्था है, की सेवाओं को किराए पर लेने अथवा उपयोग करने के परिणामस्वरूप एफआर प्वाइंट्स का क्रेडिट एअर इंडिया तथा ऐसी अन्य पार्टी के बीच हुए एग्रीमेंट/एलायंस/व्यवस्थाओं की संबंधित निबंधन एवं शर्तें संबंधित पार्टनर की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी तथा वह सदस्यों को अलग से भी इसकी सूचना भेजेंगे।

3.11 कार्यक्रम के कुछ पार्टनर अपने सदस्यों की कुछ श्रेणियों को अपने कार्यक्रम में अर्जित एफआर प्वाइंट्स को अपने फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में अंतरित करने से रोक सकते हैं।

3.12 एअर इंडिया गलत रूप से क्रेडिट हुए प्वाइंट्स को सदस्य के अकाउंट में डेबिट कर सकती है तथा तदनुसार सदस्य को इसकी सूचना दी जाएगी।

3.13 फ्लाइंग रिटर्नस् के तहत अवार्ड के उपयोग के लिए ली गई उड़ानों के संबंध में एफआर प्वाइंट्स क्रेडिट नहीं किए जाएंगे।

3.14 वैयक्तिक फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य द्वारा केवल उड़ान एवं गैर-उड़ान लेन-देन के लिए एफआर प्वाइंट्स अर्जित किए जा सकते हैं, चाहे टिकट अथवा लेन-देन के लिए कोई भी भुगतान करें।

3.15 सदस्यों को अर्जन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी चाहिए या कार्यक्रम के सदस्यों द्वारा ऑफर किए गए उत्पादों तथा सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। उपयोग नहीं की गई टिकटों, उपभोग नहीं किए गए उत्पादों अथवा वापस किए गए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

3.16 सदस्य एक उड़ान अथवा लेन-देन के लिए केवल एक फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम के साथ क्रेडिट के लिए पात्र है। जहां सदस्य एक ही उड़ान अथवा लेन-देन के लिए एक

से अधिक स्टार लॉयल्टी कार्यक्रमों में एफआर प्वाइंट्स अर्जित करने या क्रेडिट कराने अथवा पूर्वव्यापी क्रेडिट कराने का प्रयास करता है, तो उड़ान अथवा लेन-देन के लिए प्रदान किए गए एफआर प्वाइंट्स अथवा क्रेडिट को, आंशिक अथवा पूर्ण रूप में रद्द किया जा सकता है तथा सदस्य को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3.17 यदि एफआर प्वाइंट्स सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में नहीं दर्शाए जाते हैं, तो दो सप्ताह प्रतीक्षा करने के बाद सदस्य एफआर प्वाइंट्स को पूर्वव्यापी रूप में अपने फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में क्रेडिट करने की मांग कर सकता है। ऐसी मांग उड़ान लेने अथवा संबंधित लेन-देन के पश्चात् स्टार पार्टनरों के लिए छ: माह के भीतर तथा एअर इंडिया के लिए बारह माह के भीतर ऑनलाइन की जानी चाहिए। सदस्य द्वारा अपने एफआर अकाउंट में लॉग-इन करके तथा www.airindia.in पर रेट्रो क्लेम विकल्प की सुविधा से ऑनलाइन किया जा सकता है।

3.18 मिसिंग एफआर प्वाइंट्स के लिए क्लेम करने से पहले सदस्य को, इन्हें अपने अकाउंट में दर्शाए जाने के लिए, एअर इंडिया पर मैनुअल रेट्रो क्लेम के लिए दो सप्ताह, फ्लाइंग रिटर्नस् पार्टनर एयरलाइन उड़ानों पर रेट्रो क्लेम के लिए चार सप्ताह तथा फ्लाइंग रिटर्नस् नॉन-एयरलाइन पार्टनरों के साथ अर्जित एफआर प्वाइंट्स के लिए छ: से आठ सप्ताह का, समय देना चाहिए।

3.19 नए एफआर सदस्यों द्वारा फ्लाइंग रिटर्नस् में नामांकन से पूर्व ली गई उड़ानों के लिए पूर्वव्यापी एफआर प्वाइंट्स क्लेम केवल एअर इंडिया उड़ानों पर मान्य है तथा ये उड़ानें नामांकन की तिथि से 12 माह से पहले नहीं ली गई हों।

3.20 गैर-एयरलाइन पार्टनरों के कार्यक्रम से फ्लाइंग रिटर्नस् में एफआर प्वाइंट्स के अंतरण के संबंध में पूछताछ के लिए, सदस्य अपने संबंधित गैर एयरलाइन पार्टनर के कार्यालय में संपर्क करें जहां अंतरण संबंधी मूल मांग भेजी गई थी। एफआर प्वाइंट्स गैर-एयरलाइन पार्टनर से सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में अंतरित किए जा सकते हैं तथापि इसके उलट कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

3.21 सभी पार्टनरों के एफआर प्वाइंट्स अकाउंट में अंतरित एवं क्रेडिट हो जाने के बाद, उपयोग के उद्देश्य से उन्हें सामान्य फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट माना जाएगा। किसी भी

पार्टनर के एफआर प्वाइंट्स टियर अथवा स्टेट्स एफआर प्वाइंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं।

3.22 गैर उड़ान गतिविधियों या क्रेडिट लेन-देनों के लिए अर्जित किए गए तथा बाद में एफआर प्वाइंट्स के रूप में सदस्य के अकाउंट में परिवर्तित तथा अंतरित किए गए, पार्टनर बोनस एफआर प्वाइंट्स की वैधता अवधि - उपयोग अवधि को एअर इंडिया किसी भी समय परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकती है।

3.23 सदस्य समय-समय पर दी गई अधिसूचना के अनुसार एलायंस तथा कोड शेयर पार्टनरों की विशिष्ट उड़ानों में विशिष्ट श्रेणियों पर एफआर प्वाइंट्स भी अर्जित कर सकते हैं। एलायंस तथा कोड शेयर उड़ानों पर प्राप्त अर्जन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। सदस्य यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि वे एलायंस अथवा कोड शेयर पार्टनर की जिस उड़ान में यात्रा करना चाहते हैं, वह यात्रा के समय एफआर प्वाइंट्स के अर्जन हेतु पात्र है।

3.24 यह स्पष्ट रूप से विदित एवं स्वीकार्य है कि एफआर प्वाइंट्स के अर्जन तथा क्रेडिट को क्वालिफाई करने के लिए शेष यात्रा को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी सदस्य की है। अधिकांश मामलों में एअर इंडिया अपने सदस्य के अकाउंट में उनके द्वारा अर्जित एफआर प्वाइंट्स को क्रेडिट करेगी। तथापि, यह प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि एफआर प्वाइंट्स सही-सही क्रेडिट हुए हैं। जहां सदस्य यह दावा करता है कि एफआर प्वाइंट्स अर्जित किए हैं लेकिन क्रेडिट नहीं हुए हैं अथवा उन मामलों जिनमें एअर इंडिया यह मानती है कि सत्यापन अपेक्षित है, उनमें एअर इंडिया के पास यह अधिकार है कि वह सदस्य से पहचान प्रमाण तथा उड़ान अथवा पार्टनर के साथ की गई लेन-देन का वैधता प्रमाण अथवा प्रमाण-पत्र मांग सकती है साथ ही यात्रा के लिए ली गई उड़ानों की टिकट, बोर्डिंग पास की प्रतियों अथवा किए गए किसी भी लेन-देन के सत्यापन के लिए रसीद व उसके समान दस्तावेज़ों की प्रतियों की मांग कर सकती है।

3.25 एफआर प्वाइंट्स सदस्य के अकाउंट में तब तक रखे जाएंगे जब तक सदस्य उनका उपयोग नहीं कर लेता अथवा जब तक एफआर प्वाइंट्स की वैधता समाप्त नहीं हो

जाती अथवा अकाउंट आर्काइव/उसकी वैधता समाप्ति/अकाउंट समाप्त नहीं हो जाता बशर्ते इनमें से जो पहले घटित हो। एफआर प्वाइंट्स उपयोग हेतु केवल 36 माह तथा यात्रा के माह तक वैध हैं, इसके बाद 36 माह के अंतिम दिन वे सभी समाप्त हो जाएंगे।

3.26 सदस्य द्वारा संचित किए गए एफआर प्वाइंट्स यहां उल्लिखित शर्तों के अधीन सदस्यता की वैधता अवधि के दौरान उपयोग कर लिए जाएं, ऐसा न करने पर एफआर प्वाइंट्स स्वत: ही समाप्त हो जाएंगे।

3.27 पहले ही समाप्त हो चुके एफआर प्वाइंट्स की समयावधि समय-समय पर एअर इंडिया द्वारा दी गई अधिसूचना एवं जानकारी के अनुसार सीमित अवधि के लिए प्रति एफआर प्वाइंट 60 पैसे का भुगतान कर बढ़ाई जा सकती है, जिसकी सूचना एफआर सदस्यों को या तो ई-मेल द्वारा अथवा एफआर वेबसाइट पर सदस्य सूचना के माध्यम से दी जाएगी।

3.28 सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् से किसी अन्य फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम में एफआर प्वाइंट्स के अंतरण की अनुमति नहीं है, साथ ही उलट कार्रवाई की भी अनुमति नहीं है। एक सदस्य के अकाउंट से दूसरे सदस्य के अकाउंट में एफआर प्वाइंट्स के अंतरण की भी अनुमति नहीं है।

3.29 अर्जित एफआर प्वाइंट्स, अपग्रेड प्रमाण-पत्र तथा विशेषाधिकार न तो सदस्य की सम्पत्ति है, न ही हस्तांतरणीय है। तथापि एअर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्नस् नियमों के अनुसार विशिष्ट रूप से उल्लिखित कर इसकी अनुमति दी जा सकती है।

3.30 एफआर प्वाइंट्स का संचय एफआर सदस्यों को किसी अवार्ड के संबंध में किसी निश्चित अधिकार के लिए पात्र नहीं बनाता है। हवाई यात्रा के लिए अवार्ड टिकटें अवार्ड टिकट जारी करते समय तथा प्रस्थान के समय अर्थात् दोनों के समय उपलब्ध गंतव्यों के लिए पात्र होगी। एअर इंडिया तथा इसके पार्टनर अवार्ड यात्रा की बुकिंग के बाद हुए किसी भी शेड्यूल परिवर्तन, जिससे किसी गंतव्य की सेवाएं रद्द हो जाती हैं, के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

3.31 एफआर प्वाइंट्स, एफआर प्वाइंट्स तथा धन दोनों के संयोजन, यात्रा उद्योग छूट के अंतर्गत जारी टिकटों पर की गई यात्रा से एफआर सदस्य अकाउंट में एफआर प्वाइंट्स अर्जित नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट पर बेची गई टिकटों सहित कुछ अन्य किराए अथवा टिकटें, एअर इंडिया के निर्णय के आधार पर, एफआर प्वाइंट्स के अर्जन हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. अवार्ड

4.1 फ्लाइंग रिर्टनस् में ऑफर किए गए अवार्डस् के अंतर्गत, समय-समय पर एअर इंडिया द्वारा परिभाषित जानकारी के अनुसार अवार्ड टिकटें, अपग्रेड अवार्ड तथा अन्य उपयोग विकल्प सम्मिलित हैं।

4.2 फ्लाइंग रिटर्नस् अवार्ड टिकटों पर यात्रा उस एयरलाइन की शुल्क दर, वहन नियम पत्र, टिकट की शर्तों तथा पुन: आवास नीतियों के अधीन है जिस पर यात्रा की जानी है।

4.3 अकाउंट की स्थिति को देखते हुए स्वयं, परिवार के सदस्य अथवा मित्र के लिए अवार्ड टिकटों हेतु एफआर प्वाइंट्स का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी अवार्ड टिकटें सदस्य द्वारा वेबसाइट www.airindia.in के माध्यम से अपने पासवर्ड का उपयोग कर अपने एफआर अकाउंट में लॉग-इन कर स्वयं अथवा एअर इंडिया सिटी बुकिंग कार्यालय से अथवा केवल सदस्य के अकाउंट में पंजीकृत मोबाइन नं0 से एअर इंडिया के 24X7 कॉल सेंटर 1860-233-1407 पर कॉल करके जारी की जा सकती हैं तथा इसके लिए एफआर प्वाइंट्स के उपयोग के समय लागू एअर इंडिया के सुरक्षा मापदंडों को क्लीयर करना होता है। अवार्ड टिकटें ट्रेवल एजेंट द्वारा जारी नहीं की जा सकती, न ही बेची जा सकती हैं।

4.4 फ्लाइंग रिटर्नस् की निबंधन एवं शर्तों में की गई व्यवस्थाओं को छोड़कर, पार्टनर द्वारा अंतरित एफआर पवाइंट्स का उपयोग नकद प्राप्त करने अथवा किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता है और न ही इस संबंध में कोई वार्ता की जाएगी।

4.5 अवार्ड टिकट जारी करते समय एफआर प्वाइंट्स वैध होने चाहिए। इस कारण से, सदस्य यह सुनिश्चित कर लें कि एफआर प्वाइंट्स की वैधता समाप्त होने से पहले ही टिकटिंग करा ली जाए। सदस्य यह भी सुनिश्चित कर लें कि अवार्ड टिकट जारी होने से पूर्व, उनके अकाउंट में पर्याप्त संख्या में एफआर प्वाइंट्स हैं।

4.6 बच्चे अथवा शिशु की अवार्ड टिकट के लिए भी उतने ही एफआर प्वाइंट्स अपेक्षित होते हैं, जितने किसी वयस्क की अवार्ड टिकट के लिए चाहिए।

4.7 सभी अवार्ड टिकटें केवल पुष्टिकृत आरक्षण पर ही जारी की जाएंगी। ओपन-डेटेड अवार्ड टिकटें जारी करने की अनुमति नहीं है।

4.8 एक अवार्ड टिकट के लिए अपेक्षित सभी एफआर प्वाइंट्स एक ही सदस्य द्वारा एक ही अकाउंट नं. में अर्जित किए गए हों। पंजीकृत "फैमिली पूल" के सदस्यों को छोड़कर, दो अथवा अधिक व्यक्तियों के अकाउंट में अर्जित एफआर प्वाइंट्स को किसी भी अवार्ड के उपयोग के लिए मिलाया नहीं जाएगा।

4.9 एअर इंडिया द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के अनुसार सदस्य एफआर प्वाइंट्स खरीद सकता है (वर्तमान में, प्रति एफआर प्वाइंट 1.25 रुपए की दर से)। सदस्य के अकाउंट में शेष एफआर प्वाइंट्स के अधिकतम 50 प्रतिशत प्वाइंट्स सदस्य खरीद सकता है।

4.10 अवार्ड टिकट रद्द कराने पर

- परिवार के मुखिया (एच ओ एफ), जो फैमिली पूल का ही हिस्सा हैं, द्वारा स्वयं/अन्य के लिए बुक कराने पर, एफआर प्वाइंट्स एचओएफ (परिवार के मुखिया) अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे।
- उप-सदस्य, जो फैमिली पूल का ही हिस्सा हैं, तथा अपने अकाउंट में एफआर प्वाइंट्स का उपयोग करते हैं, द्वारा स्वयं/अन्य के लिए बुक कराने पर, एफआर प्वाइंट्स उनके अपने अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे।
- यदि उप सदस्य समाप्त हो चुके एफआर प्वाइंट्स की बहाली करता है तो फैमिली पूल के लिए चुने गए विभाजन अनुपात के अनुसार एफआर प्वाइंट्स क्रेडिट किए जाएंगे।

- जब उप सदस्य एफआर प्वाइंट्स के टॉप अप की मांग करता है तो फैमिली पूल के लिए चुने गए विभाजन अनुपात के अनुसार एफआर प्वाइंट्स क्रेडिट किए जाएंगे।

4.11 फ्लाइंग रिटर्नस् अवार्ड टिकटों पर यात्रा क्षमता नियंत्रण के अधीन है। इसके तहत किसी विशेष उड़ान पर अवार्ड यात्रा के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। अवार्ड सीटें सभी उड़ानों पर अथवा सभी श्रेणियों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ पार्टनर प्रतिबंधित अवधि भी लागू कर सकते हैं जिसके दौरान अवार्ड के लिए एफआर प्वाइंट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होती है।

4.12 सभी अवार्ड www.airindia.in पर दर्शाई गई निर्धारित प्रतिबंधित तिथियों तथा/अथवा प्रतिबंधित उड़ानों के अधीन हैं जिन्हें समय-समय पर उनके संबंध में जारी अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए। सदस्यों को उस अवधि तथा/अथवा उन उड़ानों का ध्यान रखना चाहिए जब अवार्ड प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

4.13 एअर इंडिया उड़ानों पर अवार्ड टिकटें विशेष आरबीडी बुकिंग श्रेणियों में जारी की जाती हैं। सदस्य यह दर्शाना सुनिश्चित कर लें कि यात्रा अवार्ड टिकट पर है तथा यात्रा की अपेक्षित श्रेणी जैसे प्रथम=0, एग्ज़ेक्यूटिव=I, इकोनॉमी=x का उल्लेख करें जिससे सदस्यों को उपयुक्त श्रेणी में बुक किया जाए। ऐसा न करने पर आरक्षण अवैध होने की संभावना रहती है।

4.14 फ्लाइंग रिटर्नस् टिकटें लागू गैर-एयरलाइन शुल्क, प्रस्थान/आगमन कर, यात्री सेवा प्रभारों तथा अन्य शुल्क, प्रभार अथवा करों के अधीन होती हैं तथा अवार्ड टिकट का उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसे लागू प्रभारों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है। सदस्य द्वारा किसी अवार्ड अथवा अपग्रेड वाउचर अथवा अन्य लाभों का उपयोग करने के कारण उत्पन्न किसी कर, प्रभार अथवा अन्य देयता की पूरी जिम्मेदारी सदस्य पर होगी। एअर इंडिया/स्टार एलायंस उड़ानों के लिए सदस्य द्वारा ही लागू करों तथा अधिभारों का भुगतान किया जाएगा।

4.15 पुष्टिकृत आरक्षण पर अवार्ड टिकटों पर यात्रा कर रहे यात्री यदि उड़ान के लिए नहीं आते हैं तो उसे नो-शो माना जाएगा तथा अवार्ड टिकट तथा उसमें उपयोग किए गए एफआर प्वाइंट्स रद्द कर दिए जाएंगे।

4.16 पुष्टिकृत आरक्षण के साथ अवार्ड टिकट प्राप्त करने वाले यात्री जो अवार्ड टिकट की धनवापसी तथा वापसी चाहते हैं, वे प्रस्थान की तिथि से 3 दिन पूर्व तक अवार्ड टिकट के लिए उपयोग किए गए एफआर प्वाइंट्स के 20 प्रतिशत की कटौती के जुर्माने के बाद ऐसा कर सकेंगे।

4.17 पुष्टिकृत आरक्षण के साथ अवार्ड टिकट प्राप्त करने वाले यात्री जो अवार्ड टिकट की यात्रा तिथि में परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे एअर इंडिया द्वारा निर्धारित मौद्रिक जुर्माने का भुगतान कर, ऐसा कर सकेंगे। उड़ान के शेड्यूल प्रस्थान से 3 दिन पूर्व तक तिथि परिवर्तन के लिए शुल्क देने की अनुमति है, इस मौद्रिक जुर्माने की गणना हेतु घरेलू सेक्टरों के लिए 1 प्वाइंट=1 भारतीय रुपए की दर से परिवर्तित किए गए इकोनॉमी केबिन (आर बीडी X) उपयोग प्वाइंट्स की वर्तमान मानक मात्रा का 20%@ तथा अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों के लिए 1 प्वाइंट=1 भारतीय रुपए की दर से परिवर्तित किए इकोनॉकी केबिन (आर बीडी X) की वर्तमान मानक मात्रा का 10%@ लागू होगा। एक बार तिथि परिवर्तन का विकल्प ले लेने पर, बाद में टिकट धनवापसी के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

ये दरें एअर इंडिया स्वनिर्णय से बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित कर सकती है।

4.18 पूरी तरह से उपयोग न की गई अवार्ड टिकटों के एफआर प्वाइंट्स, जुर्माने के रूप में 20 प्रतिशत प्वाइंट्स की कटौती के बाद पुन: क्रेडिट की जा सकती है तथा पुन: क्रेडिट के अनुरोध के समय टिकट मान्य है। भुगतान किए गए सभी गैर-एयरलाइन करों की धनवापसी कर दी जाएगी।

4.19 उड़ान में किसी भी प्रकार की रूकावट आने पर, अवार्ड टिकटों पर यात्रा कर रहे यात्री,

- एअर इंडिया उड़ानों पर, उसी गंतव्य की अगली उपलब्ध एअर इंडिया उड़ान में रीरूट अथवा पुन: बुक किया जाएगा अथवा उसी सेक्टर पर भविष्य में यात्रा के लिए नि:शुल्क रूप से तिथि परिवर्तन कराने की भी अनुमति है।

- स्टार पार्टनर उड़ानों पर, उसी गंतव्य की अगली उपलब्ध स्टार पार्टनर उड़ान में पात्र आरबीडी में रीरूट अथवा री बुक किया जाएगा अथवा उसी सेक्टर पर भविष्य में यात्रा के लिए नि:शुल्क रूप से तिथि परिवर्तन कराने की भी अनुमति है।

- अवार्ड टिकटों के लिए किसी भी प्रकार से अन्य कोई समझौता वार्ता तथा धनवापसी नहीं की जाएगी। अवार्ड टिकटें किसी अन्य एयरलाइन पर पृष्ठांकित नहीं की जा सकती है तथा नहीं की जाएगी।

4.20 सेक्टर पर उपलब्ध सेवा की किसी भी केबिन श्रेणी के लिए एफआर प्वाइंट्स का उपयोग किया जा सकता है। सेवा की जिस श्रेणी में एफआर प्वाइंट्स की मांग की गई थी उसे टिकटिंग के बाद समाप्त कराने पर अथवा अनैच्छिक रूप से अवार्ड टिकट पर निम्नतर श्रेणी में यात्रा करने पर, केबिन श्रेणी के अनुसार अपेक्षित एफआर प्वाइंट्स के उपयोग के अंतर को सदस्य के फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा।

4.21 अवार्ड टिकटें अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों सेक्टरों के लिए, एकतरफा यात्रा हेतु भी उपयोग की जा सकती हैं।

4.22 किसी भी घरेलू/अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अवार्ड टिकटें, टिकट जारी कराने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होंगी।

4.23 अवार्ड टिकट पर यात्रा के सभी सेक्टर पुष्टिकृत होने चाहिए।

4.24 आंशिक रूप से उपयोग की गई अवार्ड टिकटों के लिए, सामान्य अवार्ड टिकटों के लिए लागू निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, टिकट के उपयोग किए गए सेक्टर के प्वाइंट्स की कटौती के बाद, उपयोग नहीं किए गए सेक्टर के लिए अपेक्षानुसार पुन: बुकिंग अथवा धनवापसी कराई जा सकती है।

4.25 उद्योग संबंधी छूट, एजेंसी छूट, विनिमय अथवा अवार्ड टिकटें अपग्रेड अवार्ड उपयोग (न तो एआई न ही स्टार पर) के लिए पात्र नहीं है।

4.26 अपग्रेड अवार्ड खरीदी गई टिकटों के नियमों के अधीन है। अपग्रेड अवार्ड टिकट उपयोग के लिए, सत्यापन तथा टिकट पुन: जारी करने के लिए खरीदी गई राजस्व टिकट अथवा यात्री रसीद की प्रति अपेक्षित होती है।

4.27 जब सदस्य सेवा की किसी ऐसी श्रेणी में अवार्ड टिकट का दावा करता है जो कुछ सेक्टरों में केवल एकतरफा यात्रा हेतु उपलब्ध है, तो एअर इंडिया अथवा उसके पार्टनर द्वारा उस एकतरफा यात्रा के एक या अधिक सेक्टरों के लिए निम्नतर श्रेणी में यात्रा

उपलब्ध कराई जा सकती है। पूरी यात्रा के लिए अवार्ड के एफआर प्वाइंट्स के उपयोग का स्तर, की गई यात्रा की उच्चतम श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4.28 एफआर प्वाइंट्स उपयोग अवार्ड, समय-समय पर एअर इंडिया अथवा एलायंस पार्टनर द्वारा निर्णय लिए गए विशिष्ट सेक्टरों तथा/अथवा उड़ानों पर लागू आवधिक एम्बार्गो के अधीन है।

4.29 एफआर प्वाइंट्स के उपयोग पर जारी की गई अवार्ड टिकटों को बेचा अथवा विनिमय नहीं किया जा सकता है। अवार्ड टिकटों के किसी भी प्रकार से दुरूपयोग करने पर एअर इंडिया के पास ऐसी अवार्ड टिकटों को प्रतिबंधित, रद्द करने, रोकने अथवा समाप्त करने का अधिकार है।

4.30 यात्री द्वारा अवार्ड का उपयोग जारीकर्त्ता एयरलाइन तथा वहन प्रदान कर रही एयरलाइन दोनों द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है।

4.31 किसी एयरलाइन की ओर जारी सभी टिकटें तथा सभी वहन प्रत्येक संबंधित एयरलाइन की वहन की शर्तों के उल्लिखित सामान्य नियमों के अधीन है, जिसकी प्रति सीधे संबंधित एयरलाइन से प्राप्त की जा सकती है।

4.32 अवार्ड यात्रा की टिकटें केवल उन्हीं गंतव्यों के लिए तथा से जारी की जाएंगी जिन पर एअर इंडिया तथा/अथवा विनिर्दिष्ट एयरलाइन पार्टनरों द्वारा अवार्ड टिकट जारी करते समय तथा अवार्ड टिकट के उपयोग के शेड्यूड समय में सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

4.33 अवार्ड यात्रा के लिए अपेक्षित सभी संबंधित दस्तावेज़ (वीज़ा, यात्रा परमिट आदि) प्राप्त करने की जिम्मेदारी सदस्य की है। कोई अपेक्षित दस्तावेज़ उपलब्ध न होने पर, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गंतव्य में प्रवेश देने से इंकार करने पर एअर इंडिया अथवा इसकी पार्टनर एयरलाइनें जिम्मेवार नहीं होंगी तथा देश से वापस भेजे जाने की लागत सदस्य के अकाउंट में डेबिट की जाएगी।

4.34 अवार्ड टिकटों का कोई मौद्रिक धनवापसी मूल्य नहीं है।

4.35 सभी अवार्ड टिकटें ई टिकटों के रूप में जारी की जाएंगी।

4.36 कॉल सेंटर में किए गए आरक्षण अनुरोध, जिनके लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के टिकट नहीं बनवाई जाती है तो वे स्वत: ही रद्द हो जाएंगी।

4.37 अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पार्टनर अवार्ड अनुरोध, एअर इंडिया बुकिंग कार्यालय अथवा एअर इंडिया कॉल सेंटर में किया जाना चाहिए, जो विनिर्दिष्ट तथा पात्र आरबीडी में सीट उपलब्धता के अधीन है। विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आरक्षण के लिए टिकट नहीं बनवाने पर, आरक्षण रद्द कर दिए जाएंगे।

4.38 पार्टनर अवार्ड, केवल स्टार एलायंस पार्टनरों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे गंतव्यों के लिए तथा से जारी किए जाएंगे।

4.39 इस कार्यक्रम में पार्टनर के हट जाने पर अथवा किसी कारण से अवार्ड में परिवर्तन/रद्दकरण करने पर एअर इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी।

4.40 एअर इंडिया सूचना देकर अथवा बिना किसी सूचना के पार्टनर अवार्ड के लिए अपेक्षित एफआर प्वाइंट्स की संख्या में परिवर्तन कर सकती है अथवा पार्टनर ऑफर अथवा अवार्ड के उपयोग पर अन्य प्रतिबंध लगा सकती है।

4.41 एयरलाइन पार्टनरों पर अवार्ड यात्रा के लिए मार्ग निर्धारण तथा गंतव्य हमारे अलग-अलग एयरलाइन पार्टनरों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

4.42 एअर इंडिया स्वनिर्णय से सूचना अथवा बिना सूचना के अवार्ड नियमों में संशोधन, रद्दकरण कर सकती है अथवा उसे प्रतिबंधित/सीमित कर सकती है। किसी अवार्ड टिकट के उपयोग के लिए अपेक्षित एफआर प्वाइंट्स में वृद्धि की जा सकती है, किसी अवार्ड अथवा उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अथवा किसी भी समय अवार्ड समाप्त किया जा सकता है।

4.43 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अवार्ड यात्रा।

- फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यों को पूरे यात्रा मार्ग में वयस्क यात्री के बिना यात्रा करने वाले 2 से 12 वर्ष की आयु के अकेले यात्रा कर रहे अवयस्क यात्री हेतु अवार्ड टिकट उपयोग करने की अनुमति नहीं है। भुगतान कर ली गई राजस्व टिकटों के लिए लागू 'अकेले यात्रा कर रहे अवयस्क की सहायता तथा हैंडलिंग फार्म', की प्रति जिसे माता-

पिता अथवा अभिभावक द्वारा पूरा भरकर हस्ताक्षरित किया गया है, एयरपोर्ट स्टाफ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 2 से 12 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे अवार्ड टिकट पर केवल तभी यात्रा कर सकते हैं जब उनके साथ एक वयस्क यात्री भी यात्रा कर रहा हो।
- सदस्य की बुकिंग में किए गए अपडेट/परिवर्तनों को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। सदस्य, फ्लाइंग रिटर्नस् प्वाइंट्स का उपयोग कर ऑनलाइन बुकिंग कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका ई-मेल पता सही एवं वैध है।

5. अपग्रेड

5.1 अपग्रेड सेवा की अगली उच्चतर श्रेणी के लिए उपलब्ध हैं। डबल श्रेणी अपग्रेड की अनुमति नहीं है।

5.2 अपग्रेड अवार्ड पर यात्रा करने पर, अर्जित अवार्ड प्वाइंट्स खरीदी गई मूल श्रेणी पर आधारित होंगे।

5.3 सभी अवार्ड एफआर प्वाइंट्स/अपग्रेड के लिए चार्ट सेगमेंट पर आधारित हैं।

5.4 अपग्रेड, वेबसाइट www.airindia.in पर दी गई अधिसूचना के अनुसार केवल एअर इंडिया तथा स्टार एलायंस पार्टनर एयरलाइन पर उपलब्ध है।

6. प्रीमियम क्लब (टियर)

6.1 एअर इंडिया के पास क्वालीफाइंग मानदंड के आधार पर अपटियर/डाउनटियर करने का अधिकार है। अपटियर/डाउनटियर करने पर सदस्य अपने पुराने सदस्यता कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जब तक उसे नया सदस्यता कार्ड नहीं मिल जाता है। सदस्य अपनी नई टियर पात्रता के अनुसार विशेष लाभ/सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।

6.2 एअर इंडिया के पास किसी भी समय, विलय/अधिग्रहण अथवा उनसे उत्पन्न किसी अन्य कारण से क्लब का पुनर्मूल्यांकन करने/समाप्त करने का अधिकार है। एअर

इंडिया के पास बिना कोई कारण बताए किसी व्यक्ति को सदस्यता देने से इंकार करने अथवा सदस्यता कार्ड का दुरूपयोग अथवा कुप्रयोग करने या निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग न करने या इन निबंधन एवं शर्तों या अवार्ड टिकट की किसी निबंधन शर्तों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है। स्टेशन प्रबंधक/ड्यूटी प्रबंधक के पास प्रचालनात्मक अथवा अन्य किसी कारण से सदस्य के क्लब संबंधी विशेषाधिकारों/सुविधाओं की मांग को अस्वीकार करने का अधिकार है।

6.3 सभी सूचनाएं, मार्ग, उपलब्ध गंतव्य तथा एफआर प्वाइंट्स बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं। अवार्ड टिकटों को जारी करना उपलब्धता के आधार पर सीमित हो सकता है।

6.4 क्लब के उचित कार्य निष्पादन के उद्देश्य से, एअर इंडिया पार्टनरों के साथ, सदस्य के व्यक्तिगत डाटा का उपयोग तथा विनिमय कर सकती है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया अथवा उसके पार्टनरों को अपने उत्पाद तथा सेवाएं ऑफर करने में सक्षम बनाने साथ ही उनकी सीधी मार्केटिंग या संप्रेषण उद्देश्य से सदस्य तथा उसकी क्लब भागीदारी संबंधी सूचना एअर इंडिया तथा उसके पार्टनरों के बीच मात्र उसके उपयोग के उद्देश्य से गोपनीय रूप से प्रेषित की जा सकती है। यदि सदस्य एअर इंडिया अथवा उसके पार्टनरों से ऑफर प्राप्त नहीं करना चाहता है तो सदस्य, लिखित में सदस्य सेवा केन्द्र को अधिसूचित कर सकता है।

6.5 कार्यक्रम के नियमों के अनुसार, एक सदस्य द्वारा अर्जित या प्राप्त या प्रदान किए गए एफआर प्वाइंट्स का उपयोग कर प्राप्त अवार्ड, अपग्रेड प्रमाण-पत्र, विशेषाधिकार अथवा लाभ को न तो बेचा जा सकता है न विनिमय किया जा सकता है। नि:शुल्क अंतरण अथवा उपहार कार्यक्रम के नियमों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है जो सदस्य द्वारा यथोचित रूप से प्राधिकृत हो तथा उसमें मौद्रिक या अन्य किसी प्रकार का प्रतिफल सम्मिलित न हो। फ्लाइंग रिटर्नस् के विशेष लाभ जैसे एफआर प्वाइंट्स का उपयोग कर ली गई अवार्ड टिकट, अपग्रेड प्रमाण-पत्र या लाभ को किसी भी प्रकार से बेचना या खरीदना या विनिमय या ऑक्शन अथवा खरीदने या बेचने या विनिमय

या ऑक्शन करने का प्रयास करना पूर्णत: प्रतिबंधित है। यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सदस्य को न केवल जुर्माना देना होगा बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है तथा/अथवा उसे बहिष्कृत किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त एफआर अकाउंट निलंबित तथा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही, दोनों एफआर अकाउंट के सभी एफआर प्वाइंट्स, अपग्रेड प्रमाण-पत्र, अवार्ड टिकटों तथा लाभ को जब्त कर लिया जाएगा। दोनों एफआर अकाउंट अर्थात् ''देने वाले'' सदस्य का अकाउंट तथा अप्राधिकृत ''प्राप्तकर्त्ता'' यात्री यदि उसका फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट है।

वस्तु विनिमय अथवा कार्यक्रम के नियमों का उल्लंघन कर अप्राधिकृत रूप से पहले ही खरीदी गई अथवा अर्जित अवार्ड टिकटों पर अप्राधिकृत यात्री को बोर्डिंग देने से इंकार कर यात्रा करने से रोका जाएगा। उस यात्री को एअर इंडिया स्वनिर्णय के आधार पर सेक्टर के लागू किराए का भुगतान लेकर यात्रा की अनुमति दे सकती है।

6.6 क्लब सदस्य अपने डाक पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपडेट कराए। ऐसे मामलों में, किसी संप्रेषण के न मिलने पर एअर इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी।

6.7 सभी क्लब कार्ड, जारी होने के बाद भी एअर इंडिया की संपत्ति रहेंगे तथा सदस्यता के समाप्त हो जाने पर उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए अथवा कार्ड को हस्ताक्षर पैनल से चार पीस में काटकर नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

6.8 एफआर प्वाइंट्स अथवा रिवार्ड अर्जित करने संबंधी अपडेट तथा संशोधन, निबंधन तथा शर्तें तथा प्रक्रियाएं समय-समय पर वेबसाइट www.airindia.in पर अधिसूचित की जाती हैं। वेबसाइट www.airindia.in पर अपलोड किए गए क्लब संबंधी सभी अधिसूचनाओं की सूचना व जानकारी रखना सदस्य की जिम्मेदारी है।

6.9 क्लब में सदस्यता की भागीदारी निबंधन एवं शर्तों के अधीन है जिन्हें समय-समय पर बिना किसी सूचना के एअर इंडिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है तथा समय-समय पर संशोधित की गई इन शर्तों को सदस्य द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। इनमें एफआर प्वाइंट्स संचय ढांचा, एयरलाइन तथा नॉन एयरलाइन पार्टनर, अपग्रेड वाउचर, अवार्ड ढांचा, एयरलाइन तथा नॉन एयरलाइन पार्टनर, अपग्रेड वाउचर, अवार्ड

ढांचा, अतिरिक्त बैगेज अलाउंस, एफआर प्वाइंट एज़, एफआर प्वाइंट्स उपयोग करने का ढांचा, बोनस, लाभ तथा विशेषाधिकार सम्मिलित हैं।

6.10 इस संबंध में खड़ा किया गया कोई भी विवाद केवल न्यायालय, नई दिल्ली के अधीन होगा। किसी भी विवाद की मौजूदगी अपने आप में एअर इंडिया के विरूद्ध किसी दावे को सिद्ध नहीं करती है।

6.11 सदस्य वेबसाइट www.airindia.in पर दिए गए संबंधित क्लब के लाभ तथा विशेषाधिकार की जांच कर सकते हैं।

6.12 लाउंज में प्रवेश क्लब सदस्यों की पात्रता के अनुसार, एयरपोर्ट पर ही ऑफर किया जाएगा, जिस एयरपोर्ट पर उपलब्ध है।

- फ्लाइंग रिटर्नस् के केवल द महाराजा क्लब तथा गोल्डन एज़ क्लब के सदस्य ही लाउंज में प्रवेश के पात्र हैं।
- फ्लाइंग रिटर्नस् के द महाराज क्लब तथा गोल्डन एज़ के सदस्य अपने साथ एक गेस्ट को लाउंज में आमंत्रित कर सकते हैं।
- लाउंज में प्रवेश उस प्रस्थान एयरपोर्ट पर ऑफर किया जाएगा जहां लाउंज उपलब्ध है बशर्ते सदस्य एअर इंडिया द्वारा मार्केट तथा प्रचालित उड़ानों पर यात्रा कर रहा हो।
- फ्लाइंग रिटर्नस् के द महाराजा क्लब तथा गोल्डन एज़ सदस्य के साथ लाउंज में प्रवेश कर रहे गेस्ट भी उसी दिन, उसी एयरपोर्ट से एअर इंडिया/स्टार एलायंस पार्टनर एयरलाइन की उड़ान से यात्रा करेंगे।
- इन ट्रांजिट फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्यों को लाउंज में प्रवेश केवल तभी ऑफर किया जाएगा यदि उनकी आगे की यात्रा एअर इंडिया द्वारा मार्केट तथा प्रचालित उड़ानों पर की जा रही है।
- कुछ चुने हुए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टो पर, फ्लाइंग रिटर्नस् के द महाराजा क्लब तथा गोल्डन एज़ क्लब सदस्य एअर इंडिया उड़ान में बोर्ड करने के लिए प्रस्थान के समय अथवा ट्रांजिट में लाउंज सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

7. ऑनलाइन एफआर प्वाइंट्स विवरण

7.1 सदस्यों को अर्जित तथा उपयोग किए गए एफआर प्वाइंट्स का मासिक विवरण ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा।

7.2 सदस्यों का किसी विशेष माह में, एफआर प्वाइंट्स का कोई अर्जन, उपयोग अथवा बोनस एक्टिविटी न होने पर, उन्हें माह के अंत में अथवा अगले माह के आरंभ में भेजे जाने वाले मासिक विवरण, ई-मेल, वैधता समाप्ति चेतावनी तथा प्रोग्राम अपडेट अथवा स्पेशल प्रमोशन की अधिसूचनाएं प्राप्त होने वाले सदस्यों की सूची से हटाया जा सकता है। तथापि, सदस्य इसे एफआर वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

7.3 पार्टनर के क्रेडिट किए गए एफआर प्वाइंट्स को एफआर प्वाइंट्स विवरण में अलग से दर्शाया जाएगा।

7.4 एअर इंडिया के पास एफआर प्वाइंट्स विवरण की मेल की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है।

7.5 सदस्य वेबसाइट www.airindia.in पर लॉग इन करके अपने एफआर प्वाइंट्स का अर्जन एवं उपयोग जान सकते हैं।

7.6 समाप्त होने वाले एफआर प्वाइंट्स तथा पहले ही समाप्त हो चुके एफ आर प्वाइंट्स भी एफआर प्वाइंट्स विवरण में दर्शाए जाएंगे।

7.7 एअर इंडिया अपनी '' फ्लाइंग रिटर्नस्'' वेबसाइट www.airindia.in तथा रजिस्टर कराई गई सदस्य की ई-मेल आईडी पर ई-मेल द्वारा सक्रिय सदस्यों को अपना मासिक अकाउंट विवरण, अपडेट अधिसूचना तथा न्यूज़लेटर की सूचना एवं अपडेट भेजेगी। तथापि, इसमें किसी भी प्रकार की चूक के लिए एअर इंडिया जिम्मेवार नहीं होगी। एअर इंडिया मेल में भेजे गए पत्राचार, वाउचर, कार्ड अथवा किट के खोने या विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। प्रत्येक सदस्य अपने फ्लाइंग रिटर्नस् अकाउंट प्रोफाइल में व्यक्तिगत विवरण अथवा पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को अपडेट कराने के लिए एअर इंडिया सदस्य सेवा केन्द्र को सूचित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ''प्रेषक को वापसी'' अथवा मिसडायरेक्टेड मेल अथवा उसके किसी भी परिणाम के लिए एअर इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी। ई-मेल आईडी प्रदान करने से

पहले, सदस्य यह सुनिश्चित कर लें कि यह किसी ऐसे कार्यालयी अथवा संगठन के सर्वर की न हो, जहां फ्लाइंग रिटर्नस् की आने वाली मेल को स्पैम के रूप में प्रतिबंधित किया जाता हो या रोका जाता हो। सदस्य अपने प्रोफाइल में ''ई-मेल'' प्राप्त हो विकल्प को सक्षम करें।

8. सदस्यता का नवीकरण

8.1 बेस सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी, बशर्ते सदस्य के अकाउंट में पिछली एफआर लेन-देन के 36 माह के भीतर कम से कम 1 उड़ान अर्जन लेन-देन की गई हो।

8.2 एक बार बेस सदस्यता समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण नहीं किया जाएगा तथा सदस्यों को नए सदस्य के रूप में नामांकन कराना होगा। सदस्यों को नई सदस्यता संख्या प्रदान की जाएगी।

9. विविध

9.1 ऊपर उल्लिखित तथ्यों को छोड़कर, सदस्य एफआर प्वाइंट्स से की जा रही यात्रा/अन्य अवार्ड के संबंध में किसी भी प्राधिकरण द्वारा लिए जा रहे एयरपोर्ट शुल्क, सुरक्षा बीमा अधिभार (जैसा लागू) तथा अन्य सभी शुल्क, करों, अधिभार अथवा प्रभार के भुगतान के लिए जिम्मेवार होगा।

9.2 अवार्ड टिकटों की वैधता समाप्त हो जाने पर उसे किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा।

9.3 सदस्य के वेब अकाउंट में लॉग-इन पासवर्ड का उपयोग कर किए गए सभी लेन-देन की जिम्मेदारी सदस्य की होगी, चाहे ऐसा सदस्य की जानकारी अथवा स्वीकृति के साथ या बिना किया गया हो। सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि एअर इंडिया किसी ऐसे व्यक्ति की प्रमाणिकता को सत्यापित करने का दायित्व व जिम्मेदारी नहीं लेती है जो वैध पासवर्ड का उपयोग कर लेन-देन कर रहा है।

9.4 एअर इंडिया उड़ानों के लिए अपग्रेड वाउचर प्रमाण-पत्र की विशेष सुविधाओं तथा एअर इंडिया तथा स्टार पार्टनरों पर अवार्ड का उपयोग एअर इंडिया द्वारा उल्लिखित कार्यक्रम नियमों के अधीन है। इन विशेष सुविधाओं का उपयोग कर रहे प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है, वे सदस्य के अधिकारों तथा जिम्मेदारियों से संबंधित नियमों के अनुपालन की जानकारी रखते हैं तथा उक्त नियमों के अनुपालन के लिए वे जिम्मेदार है।

9.5 यदि एअर इंडिया अथवा स्टार एलायंस पार्टनर किसी सदस्य के अर्जन अथवा लाभ को अनुपयुक्त रूप से इंकार कर देते हैं तो उनके दायित्व की सीमा केवल उस अर्जन अथवा लाभ के समतुल्य सीमित रहेगी।

9.6 एअर इंडिया के पास प्रमोशनल ऑफर तथा एअर इंडिया या एफआर कार्यक्रम पार्टनरों के बोनस एफआर प्वाइंट्स देने का अधिकार है, ये किसी भी समय कुछ चुनिंदा सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं जो उड़ान गतिविधियों, भौगोलिक स्थानों, कार्यक्रम में भागीदारी अथवा अन्य कारकों के आधार पर मात्र एअर इंडिया द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

9.7 एअर इंडिया के पास किसी भी सदस्य द्वारा परिवर्तन के प्रत्येक अनुरोध के लिए सेवा प्रभार वसूल करने का अधिकार है जिसके लिए अवार्ड टिकट पुन: जारी की जा सकती है या नहीं भी जारी की जा सकती है। एफआर प्वाइंट्स के उपयोग की मांग तथा/अथवा अवार्ड टिकट में किसी समायोजन अथवा रद्दकरण के लिए प्रभार वसूल किए जा सकते हैं।

9.8 सदस्य द्वारा अप्राधिकृत रूप से अकाउंट संबंधी जानकारी प्रकट करने अथवा उनके वेब अकाउंट लॉग-इन पासवर्ड के अप्राधिकृत रूप से प्रयोग होने से सदस्य को हुई किसी हानि, क्षति या व्यय के लिए एअर इंडिया जिम्मेवार नहीं होगी।

9.9 सभी पत्र व्यवहार वेबसाइट पर उल्लिखित फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य सेवा केन्द्र के नाम होंगे।

9.10 प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वे फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की निबंधन एवं शर्तों, अर्जन/उपयोग के स्तर तथा शर्तों, सदस्य के अपने अकाउंट में विभिन्न

प्रकार के शेष एफआर प्वाइंट्स की जानकारी व सूचना रखेंगे। कार्यक्रम के नवीनतम नियमों की जानकारी www.airindia.in पर उपलब्ध हो सकती है तथा कार्यक्रम नियमों के संबंध में यह फाइनल होगी।

10. डाटा सुरक्षा

10.1 सदस्य बनने पर, सदस्य निम्नलिखित स्वीकृतियां देता है:

क) एअर इंडिया अथवा किसी फ्लाइंग रिटर्नस् सदस्य द्वारा उनके डाटा की प्रोसेसिंग

ख) अन्य विभागों तथा संबद्ध कंपनियों को उनके डाटा की आपूर्ति

ग) अन्य देशों को उनके डाटा का अंतरण

घ) इमीग्रेशन तथा कस्टम प्राधिकरण को उनके डाटा की आपूर्ति

ङ.) फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की सदस्यता स्वीकार कर सदस्य यह सहमति देता है कि वह एअर इंडिया अथवा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस अथवा टेलीफोन द्वारा भेजे जा रहे पत्र व्यवहार को स्वीकार करता है।

यदि सदस्य यह पत्र व्यवहार नहीं चाहता है तो वह इसकी सूचना लिखित में सदस्य सेवा केन्द्र को दे।

10.2 यह डाटा, सदस्यता के लिए आवेदन करने पर सदस्य द्वारा एअर इंडिया को प्रदान गई सूचना, सदस्य द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं, अथवा सदस्य द्वारा एअर इंडिया के साथ की गई यात्रा व्यवस्थओं के संबंध में हो सकता है।

10.3 इसके अतिरिक्त, डाटा प्रोसेसिंग में ''संवेदनशील'' सूचनाओं जैसे जातिय या प्रजातिय मूल, धार्मिक आस्था या चिकित्सीय स्थिति की प्रोसेसिंग भी सम्मिलित हो सकती है।

10.4 यदि सदस्य इन निबंधन एवं शर्तों में उल्लिखित सम्पूर्ण अथवा किसी भाषा के डाटा की प्रोसेसिंग की स्वीकृति नहीं देना चाहता है तो वह एअर इंडिया से संपर्क करें व इसकी सूचना दे।

10.5 एअर इंडिया के पास रखा सभी डाटा गोपनीय है तथा उक्त उद्देश्यों को छोड़कर इसे जारी नहीं किया जाएगा।

10.6 यदि एअर इंडिया किसी व्यक्ति की पहचान अथवा प्राधिकार के बारे में अनिश्चित है तो एअर इंडिया, सदस्य होने का दावा कर रहे किसी भी व्यक्ति को निजी डाटा को एक्सेस करने से रोक सकती है।

10.7 कार्यक्रम में भाग लेकर, सदस्य एअर इंडिया को सूचना लेने, बनाए रखने, उपयोग करने तथा शेयर करने का प्राधिकार प्रदान करते हैं जिसमें एअर इंडिया की गोपनीयता नीति के अनुसार बिना किसी सीमा के नाम, पता, अकाउंट तथा अन्य सूचनाएं भी सम्मिलित होंगी। एअर इंडिया की गोपनीयता नीति मात्र एक प्रशासनिक प्रोटोकॉल है, यह न तो कोई कॉन्ट्रेक्ट है, न ही इस कार्यक्रम के नियमों का भाग है या भाग बनाने का आशय है और न ही कोई कॉन्ट्रक्च्यूअल या कानूनी अधिकार उत्पन्न करते हैं।

11. फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के परिवर्तन/समाप्ति

11.1 सदस्यता नामांकन तथा पात्रता, एफआर प्वाइंट्स का अर्जन, अवार्ड यात्रा, अवार्ड की उपलब्धता तथा एफआर प्वाइंट्स का उपयोग फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम की निबंधन एवं शर्तों के अधीन है तथा आयटा के लागू विनियमों सहित किसी भी लागू नियमों तथा विनियमों के अधीन है।

11.2 एअर इंडिया इन निबंधन तथा शर्तों साथ ही साथ फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम के संबंध में प्रदान किए गए किसी लाभ तथा किसी टियर या ग्रुप के सदस्यों के लिए बने विशेष ऑफर्स अथवा प्रमोशनल ऑफर्स में बिना किसी सूचना के परिवर्तन, जोड़, संशोधन अथवा समाप्त कर सकती है।

12. दायित्व की सीमा

12.1 एअर इंडिया तथा/अथवा कार्यक्रम पार्टनर, किसी सदस्य अथवा उसके नामिती या साथी को फ्लाइंग रिटर्नस् कार्यक्रम तथा/या उसके प्रावधानों के कारण या से संबंधित

किसी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि, क्षति या व्यय अथवा किसी लाभ को प्रदान करने से इंकार के लिए जिम्मेवार नहीं होगी, चाहे ऐसी हानि, क्षति या व्यय भूलवश या अन्य किसी कारण से हुई हो तथा चाहे एअर इंडिया तथा/अथवा इसके कार्यक्रम पार्टनरों का दावा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों पर नियंत्रण हो या नहीं हो।

12.2 स्थानीय कानून अथवा विनियम की अनुमत सीमा तक, ये निबंधन एवं शर्तें भारतीय कानून के अनुसार समझी व संचालित की जाएंगी। एअर इंडिया तथा प्रत्येक सदस्य इनके कारण उत्पन्न किसी विवाद को सुलझाने के लिए भारतीय न्यायलयों के गैर-विशिष्ट न्यायाधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

12.3 www.airindia.in पर तथा न्यूज़लेटर के माध्यम से फ्लाइंग रिटर्नस् सूचना : फ्लाइंग रिटर्नस् नियमित रूप से अपने वेब पेज पर सूचना की समीक्षा करता है एवं उसे अपडेट करता है। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह संभावना रहती है कि कोई सूचना पुरानी रह जाए। इसलिए फ्लाइंग रिटर्नस् इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है या ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सूचना नवीनतम, सही तथा संपूर्ण है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, फ्लाइंग रिटर्नस् की निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी।

12.4 एअर इंडिया अथवा फ्लाइंग रिटर्नस् से कोई भी ई-पत्र व्यवहार केवल संबोधित व्यक्ति अथवा इकाई के लिए होता है तथा उसमें गोपनीय तथा/अथवा विशेष सूचना हो सकती है। यदि आपने त्रुटि से यह संदेश प्राप्त किया है तो कृपया तत्काल ही प्रेषक को सूचित करें तथा अपने सिस्टम से इस संदेश को हटा दें। उक्त संदेश को अप्राधिकृत रूप से प्रकट करने, कॉपी करने, वितरित या उपयोग करने पर कड़ा प्रतिबंध है और यदि ऐसा किया जाता है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संदेश संपूर्ण या त्रुटिरहित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस संदेश में किसी त्रुटि तथा/अथवा विषय-वस्तु में चूक के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। संदेश वायरस मुक्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानियां बरती गई हैं। तथापि, एअर इंडिया इस संदेश अथवा अटैचमैंट के उपयोग से उत्पन्न किसी हानि या क्षति के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती है। यहां दी गई सभी सूचनाएं प्रकाशन के समय

सही एवं वर्तमान होती हैं तथा इनमें बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

अस्वीकारण: पुस्तिका में दी गई सूचनाएं समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। वर्तमान सूचना वेबसाइट www.airindia.in पर दर्शायी गई है। किसी भी अंतर की स्थिति में, वेबसाइट पर दर्शायी गई सूचना लागू होगी।

यद्यपि यह गाइड पूरी सावधानी से तैयार किया गया है तथापि प्रकाशक किसी भी प्रकार से, किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदारी नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.airindia.in देखें।